अर्द्वशा0 पत्र संख्या-1/1687/30-4-13-8(56)/13

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
लखनऊ: दिनांक:31 अक्टूबर 2013

प्रिय महोदय,

ओवरलोड ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने विषयक अपने पत्र दिनांक 22.07.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे आपको यह अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है कि ओवरलोडिंग रोके जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश निर्गत किए गये हैं एवं ओवरलोडिंग की नियमित जॉच एवं समीक्षा भी की जाती हैा उक्त के अतिरिक्त ओवरलोड भार वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, 1984 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैा भारत सरकार द्वारा कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007 के अन्तर्गत भी ओवरलोड संचालन पर रोक लगाने हेतु प्राविधान किया गया है। कैरेज बाई रोड रूल, 2011 अधिसूचित होने के बाद यह अधिनियम लागू हो चुका है। परिवहन विभाग द्वारा कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007 को लागू करते हुए इसकी धारा-8 एवं 5(3) पर भी कार्यवाही शुरू करा दी गयी है।

भवदीय,

(संतोष कुमार रावत)

श्री रेवती रमण सिंह,
मा0 सभापति,
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति,
(लोक सभा)
7, बलवंत राय मेहता लेन,
कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1/1687(1)/30-4-13 तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय सांसद/विधायक प्रकोष्ठ को, श्री रेवती रमण सिंह, मा0 सभापति, लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति (लोक सभा) के पत्र दिनांक 22.07.2013 पर उनके पृष्ठांकन संख्या-सीएम/एमपी/पीजीओ 9320732/13 दिनांक30.07.2013 एवं पृष्ठांकन संख्या-सीएम/एमपी/पीजीओ 9320729/13 दिनांक 30.07.2013 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत संदर्भों को कम्प्यूटर के लम्बित सूची से विलोपित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in